इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 68] भोपाल, सोमवार, दिनांक 21 फरवरी 2011—फाल्गुन 2, शक 1932

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2011

क्र. एफ-10-01-2009-एक-4.—महाराणा प्रताप शौर्य पुरस्कार के संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी नियम निर्देश क्र. 10-13-1998-एक-4 दिनांक 28 दिसम्बर 1998 के अनुसार गठित जूरी की बैठक दिनांक 27 जुलाई 2010 द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार निम्नांकित व्यक्तियों को उनके द्वारा उल्लेखित साहसिक कार्यों के लिये "महाराणा प्रताप शौर्य पुरस्कार" से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है :—

1. दिनांक 13 जून 2007 को नर्मदा नदी के सेठानी घाट पर इटारसी जिला होशंगाबाद निवासी श्री सूर्यवंशी नहा रहे थे, नहाते समय वे नदी के गहरे पानी में चले गए तथा डूबने लगे. घटना स्थल के नजदीक उपस्थित श्री सोमेश कुमार राठौर ने यह देख कर अपनी जान की परवाह किये बिना तुरन्त नदी में कूद गये तथा गहरे पानी में डूब रहे श्री सूर्यवंशी को नदी से बाहर निकाल कर संकट में फंसे व्यक्ति के प्राणों की रक्षा की. इनका उल्लेखित साहसिक कार्य प्रशंसनीय है.

1.2 दिनांक 03 जनवरी, 2007 को ग्राम अधोरिया जिला नीमच में प्रात: 4.00 बजे चार बदमाशों द्वारा राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करने की सूचना थाना जीरन में प्राप्त होने पर श्रीमती बीनू सिंह के पति स्व. श्री भूपेन्द्र सिंह, आरक्षक को घटना स्थल की ओर रवाना किया गया. इन्होंने रास्ते में ही बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया तथा एक बदमाश से गुथम्-गुथ्था हो गई इस बीच अन्य बदमाश ने उन पर गोली चला दी और भाग निकला. घटना स्थल पर गोली की आवाज सुन कर कई ग्रामीण इक्कठा हो गए तथा घायल भूपेन्द्र सिंह को संभालने का प्रयास किया किन्तु आरक्षक श्री भूपेन्द्र सिंह की मौत हो गई. इनका उल्लेखित साहसिक कार्य प्रशंसनीय है.

राज्य शासन द्वारा श्री सोमेश कुमार राठौर मेन रोड़ सराफा चौक, गणेशगंज होशंगाबाद तथा श्रीमती बीनू सिंह पत्नि स्व. श्री भूपेन्द्र सिंह, जिला नीमच मध्यप्रदेश को (मरणोपरान्त) उनके द्वारा प्रदर्शित शौर्य एवं वीरता के लिये वर्ष 2007 का "महाराणा प्रताप शौर्य राज्य पुरुस्कार" एवं प्रशस्ति पत्र संयुक्त रूप से प्रदान करने का निर्णय लिया है. पुरस्कार राशि रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख) प्रत्येक को बराबर-बराबर रुपये 50,000-50,000 (रुपये पचास-पचास हजार) प्रदान किया जावेगा.

2. दिनांक 08 नवम्बर, 2008 को ग्राम सगरवारा जिला टीकमगढ़ में श्रीमती मालती पत्नी श्री अखिलेश साहू व पुत्री साक्षी साहू ग्राम के नजदीक कुए में डूबने लगी, घटना स्थल के समीप खड़े श्री गणपत ढ़ीमर ने यह सब देख वे भी कुए में कूद गए एवं दोनों को बचाने का अथक प्रयास किया इस घटना में उन्होंने मालती की पुत्री साक्षी को कुए से बाहर निकाल कर बचा लिया. इनका उल्लेखित साहसिक कार्य प्रशंसनीय है.

2.2 दिनांक 09 अगस्त 2008 को दोपहर करीब 1.00 बजे ग्राम हटरी तहसील व जिला दमोह में सतधरू एवं व्यारमा नदी के संगम पर बालक छोटू आत्मज श्री महेन्द्र पचौरी नहा रहा था अचानक गहरे पानी में डूबने लगा तथा चिल्लाने लगा इनकी आवाज सुन कर घटना स्थल के पास खड़े श्री नरेन्द्र पटेरिया अपनी जान की परवाह किये बगैर नदी में कूद गया तथा बालक छोटू को बाहर निकाल कर उनके प्राणों की रक्षा की इनका उल्लेखित साहसिक कार्य प्रशंसनीय है.

राज्य शासन द्वारा श्री गणपत ढ़ीमर आत्मज श्री तिजू ढ़ीमर ग्राम व पोस्ट सगरवारा, तहसील पलैरा, जिला टीकमगढ़ तथा नरेन्द्र पटेरिया ग्राम हटरी तहसील व जिला दमोह मध्यप्रदेश को उनके द्वारा प्रदर्शित शौर्य एवं वीरता के लिये वर्ष 2008 का ''महाराणा प्रताप शौर्य राज्य पुरस्कार'' एवं प्रशस्ति पत्र संयुक्त रूप से प्रदान करने का निर्णय लिया है. पुरस्कार राशि रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख) दोनों को बराबर-बराबर रुपये 50,000-50,000 (रुपये पचास-पचास हजार) प्रदान किया जावेगा.

उपरोक्तानुसार पुरस्कार जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया जावेगा.

राजेश कौल, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.